URJA
United Residents Joint Action of Delhi

Registered Office: 14A/23 W.E.A, Karol Bagh, New Delhi 110005, Tel 41556177, 24333927, 25746991,
Fax: 46623426
Email: mail@urjadelhi.org, www.facebook.com/pages/United-RWAs-Joint-Action-Delhi-
Twitter-@URJADelhi, URJA/www.urjadelhi.org

निगम पार्षद

की अगुआई में

सफाई निगरानी समिति

दिल्ली में म्यूनिसिपल वार्ड स्तर पर कचरे के निपटान हेतु

URJA, the apex body of RWA in Delhi, was set up in 2005 and gathers, analyzes, disseminates information & aggregates public opinion to demand efficient delivery of civic amenities, health services, security, clean air, and water to residents of Delhi through an accountable, efficient, and responsive Government. We connect and network with 2500 RWA apart from several significant NGOs. URJA is a volunteer led, not for profit organisation.

SWM 2016 नियमों के मुताबिक ठोस कचरा प्रबंधन हेतु वार्ड स्तरीय ऐक्शन प्लान

18 वर्षीय SWM 2016 नियमों के बावजूद 'कचरे के स्त्रोत के पृथक्करण' पूरी तरह नाकाम रहा है: इसका समाधान करने के लिए चुनौतियों को जानना उपयोगी है

SWM कानून काफी बुलंद हैं जिनके अनुपालन के लिए समुदायों एवं नगर प्राधिकरण से बहुत दक्षता व अनुशासन की जरूरत होती है, बहुत विकसित देशों में जो अनुपालन किया जाता है उससे भी कहीं ज्यादा। इन नियमों की अधिसूचना पर समिति ने जो उप–नियम बनाए हैं उसने इन्हें बनाते वक्त समस्या पर अपना दिमाग नहीं लगाया। इस मुद्दे की चुनौतियां निम्न प्रकार से हैं:

• कानून का पालन करने के लिए जनता की अनिच्छा और निगम की अक्षमता के मिश्रण के चलते निगम प्रशासन इस ओर प्रवृत्त हुआ की कचरा एकत्रित करके किसी अन्य जगह पर प्रोसैसिंग के लिए ले जाया जाए बजाय इसके की हर घर में या हर RWA में यह कठिन काम किया जाए और कम्यूनिटी कम्पोस्ट/बायोमिथेनेशन की कार्यवाही हो।
• जनता की आदत बदलने के लिए कर्मचारियों, क्षमता व साधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव। जिससे निगमों ने स्थानीय समुदायों को सक्रियता से शामिल करने के बजाय बड़े स्तर के आउटसोर्सड् समाधान खोजे।
• आबादी व समस्या के पैमाने के बरक्स क्षमता एवं कर्मचारियों की कमी की वजह से नगर निगम उन लाखों अनौपचारिक कामगारों पर दक्षतापूर्वक निगरानी नहीं कर सकते जो कचरा एकत्रित करने, पृथक्करण करने तथा उसके निपटान में लगे हैं। कभी–कभार जांच और अभियान किए जाते हैं लेकिन इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।
• नगर निगम अपने रियायतदारों पर निगरानी कर सकते हैं और अगर वे ठीक से अपना काम न करें तो उन पर जुर्माना लगा सकते हैं।
• प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और C&D कचरा नियमों के अमल की कमी के चलते सारे कचरे को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के तौर पर बंडल कर दिया जाता है।
• प्रेरणारहित म्यूनिसिपल स्टाफ और नेतृत्व।

ढांचागत, सूचना सक्षम व जिम्मेदार सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित हल

समस्या समाधान हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत
• सरलता। विस्तृत दिशानिर्देश, सूक्ष्म निर्णय स्थानीय समुदायों पर छोड़ दिए जाएं।
• विकेन्द्रिकरण
• समावेशी
• पारदर्शी
• न्यायोचित

कचरे के स्त्रोत पर ही उसका पृथक्करण करने के लिए ऐक्शन प्लान – पहला चरण

संपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए दरमियानी लक्ष्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, साथ में उनकी समय–सीमा व जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

URJA, the apex body of RWA in Delhi, was set up in 2005 and gathers, analyzes, disseminates information & aggregates public opinion to demand efficient delivery of civic amenities, health services, security, clean air, and water to residents of Delhi through an accountable, efficient, and responsive Government. We connect and network with 2500 RWA apart from several significant NGOs. URJA is a volunteer led, not for profit organisation.

ज़ोनल डीसी द्वारा निगमायुक्त के कार्यकारी आदेश के जरिए **<u>हर वार्ड में 'सफाई निगरानी समिति' (SNS) का गठन</u>**

समर्थकारी प्रावधानः
SWM 2016 नियमों का खंड 15
DMC ऐक्ट के उपखंड ZA का अनुच्छेद 43
DMC ऐक्ट का अनुच्छेद 59(a) या अनुच्छेद 65(1)
संजोयन सुझाव

निगम पार्षद – पदेन चेयरपर्सन

वार्ड में हर RWA से 1 अध्यक्ष/ महासचिव/ मनोनीत व्यक्ति (SRA 1860 या DCSA के तहत न्यूनतम 3 वर्षों के लिए पंजीकृत अथवा निवासियों के कम से कम 60 प्रतिशत हिस्से की नुमाइंदगी)*

हर MTA से 1 अध्यक्ष/ महासचिव/ मनोनीत व्यक्ति (SRA 1860 के तहत कम से कम 5 वर्ष के लिए पंजीकृत)

रेस्टोरेंट और होटल ऐसोसिएशनों से 1 मनोनीत
ज़ोनल डीसी द्वारा 1 ऑफिशियल ऐम्पावर्ड
PWD से 1 अधिकारी
1 एनजीओ या सिविल सोसाइटी से डीसी द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ, वार्ड के भीतर से ही हो तो बेहतर है
सीवेज ड्रेन के लिए 1 सैनिटरी इंस्पैक्टर और दिल्ली जल बोर्ड इन्सपैक्टर
पुलिस स्टेशन द्वारा 1 ऑफिशियल ऐम्पावर्ड (बीट कॉन्स्टेबल, जिसे इलाके की अच्छी मालूमात हो)

यह समिति ज़ोनल डीसी को रिपोर्ट करेगी
समिति सर्वसम्मति से एक संयोजक का चयन करेगी जो सभाएं बुलाएगा और उनका ब्यौरा दर्ज करेगा

पहले 6 महीनों में यह समिति हर पखवाड़े अनिवार्य रूप से गोलमेज़ बैठक करेगी और उसके बाद हर महीने एक बैठक होगी
निगम आयुक्त द्वारा तय किए गए बजट की रकम नगर निगम द्वारा अदा की जाएगी
समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा

<u>मानकीकृत परिचालन प्रक्रियाः</u>
• यह समिति अपने वार्ड में संपूर्ण सर्वेक्षण करेगी और प्रत्येक RWA व MTA एवं स्कूलों में कचरा प्रबंधन की स्थिति को सूचीबद्ध करेगी। कामगारों की संख्या की सूची बनाई जाएगी तथा जिन म्यूनिसिपल पार्कों व डीडीए की जमीन पर कम्पोस्टिंग व रिसाइकलेबल कचरे का पृथक्करण किया जाएगा उनका ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। हर RWA व MTA में कम्पोस्टिंग/गीला कचरा छांटने व रिसाइकलेबल के संभावित स्थलों की सूची बनाई जाएगी

URJA, the apex body of RWA in Delhi, was set up in 2005 and gathers, analyzes, disseminates information & aggregates public opinion to demand efficient delivery of civic amenities, health services, security, clean air, and water to residents of Delhi through an accountable, efficient, and responsive Government. We connect and network with 2500 RWA apart from several significant NGOs. URJA is a volunteer led, not for profit organisation.

साथ ही ढलाव और सैनिटेशन/बागवानी विभाग/डीडीए समेत अन्य जमीनों का भी ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

• निगमायुक्त सभी RWA को लिखे की उन्हें SWM नियमों का अनुपालन करना है और वे अपने निवासियों को अनिवार्य रूप से सूचित करें की कानून के मुताबिक कचरे का पृथक्करण करने में नाकाम रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। RWA अपने निवासियों को सूचित करे की वे अपने घरों में कचरा का पृथक्करण करें तथा कचरा उठाने वाले, कबाड़ी या अधिकृत रिसाइकल्स को पृथक किया कचरा अलग–अलग रिसाइकलेबल सामग्री में एकत्रित कर के दें। बायोडिग्रेडेबल कचरे को कम्पोस्टिंग के जरिए प्रोसैस, ट्रीट व निपटान किया जाए। स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार शेष अपशिष्ट कचरा इकट्ठा करने वालों या एजेंसी को दिया जाए।

• नगर निगम सार्वजनिक नोटिस जारी करें जिसमें SWM उप–नियमों के कड़े अनुपालन तथा उल्लंघन के मामले में जुर्माने की जानकारी दी गई हो।

• यदि स्थानीय स्तर पर कचरा कम्पोस्ट करना मुमकिन न हो तो ढलाव का विकल्प अपनाया जाए।

• RWA को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सक्षम किया जा सकता है और दिशानिर्देशों के जरिए इन शक्तियों की व्याख्या कर के नोटिस जारी कर सकती है। ऐसा एक सक्षमकारी प्रावधान CPCB के साथ है, अनुच्छेद 11 के तहत – **''ठोस कचरे की प्रोसैसिंग एवं निपटान संबंधी पर्यावरणीय पहलुओं पर समय–समय पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए जाएं जिससे स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रावधानों का पालन कर सकें।''**

• नगर निगम व जिला प्राधिकरण विभिन्न पार्कों व सार्वजनिक जगहों पर साइनबोर्ड लगाएं जिनमें कचरा उत्पन्न करने वालों को SWM नियमों के सैक्शन 4 के अंतर्गत आने वाले कर्तव्यों के बारे में बताया जाए।

नगरनिगमों को निर्देश दिए गए हैं की वे पृथक किए गए कचरे के व्यवस्थित संग्रहण को सुनिश्चित करें:

• रिसाइकलेबल व नॉन–रिसाइकलेबल कचरे के लिए निर्दिष्ट रंग के कचरादान हों। नॉन–रिसाइकलेबल कचरे को हफ्ते में एक बार इकट्ठा किया जा सकता है। इसके लिए मौजूदा कचरा उठाने वालों को संगठित/अनुबंधित किया जा सकता है (SWM नियम 2016 के अनुच्छेद 15b व अनुच्छेद 15c)

• नेबरहुड पार्क स्तर पर ग्रीन वेस्ट कम्पोस्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है (SWM नियम 2016 का अनुच्छेद 4 d) या RWA स्तर पर निर्दिष्ट स्थलों पर। जहां मुमकिन हो हरित क्षेत्रों (पार्क, गलियां, सेंट्रल वर्ज) के रखरखाव के लिए बागवानी विभाग के सहयोग से कम्पोस्ट का उपयोग किया जा सकता है। (SWM नियम, 2016 का अनुच्छेद 15p)

• कूड़ा ले जाने वालों और कचरा बीनने वालों के द्वारा अच्छी तरह पृथक्करण हो जाता है, यद्यपि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, 50 माइक्रॉन व उससे कम का प्लास्टिक जो गीले कचरे में मिला हो, C&D वेस्ट और गाद लैंडफिल पहुंचने पर समस्या पैदा करते हैं। निगमायुक्त **वार्ड स्तर पर अथवा क्षेत्र स्तर पर उपयुक्त ट्रांज़िट रिपॉज़िटरी** निर्दिष्ट करेगा जहां प्रत्येक घर नवीकरण या पुनर्विकास या निर्माण से उत्पन्न मलबे को भेजेगा।

URJA, the apex body of RWA in Delhi, was set up in 2005 and gathers, analyzes, disseminates information & aggregates public opinion to demand efficient delivery of civic amenities, health services, security, clean air, and water to residents of Delhi through an accountable, efficient, and responsive Government. We connect and network with 2500 RWA apart from several significant NGOs. URJA is a volunteer led, not for profit organisation.

• चूंकि कॉलोनियों के भीतर कम्पोस्टिंग को अक्सर निवासियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है इसलिए उन्हें सूचित करें की RWA को इस बारे में अनिवार्य रूप से बैठक बुलानी है और नागरिक सफाई निगरानी समिति में अपनी आपत्तियों/ चिंताओं को दर्ज करवाएं। जागरुकता अभियान निवासियों को सूचित करेगा की SWM नियम, 2016 के तहत यह उनका अनिवार्य कर्तव्य है। निवासियों के प्रतिशत को प्रोत्साहित किया जाएगा की यदि सुविधाजनक व नियमित संग्रहण प्रणाली/ पृथक कूड़ेदान हों तो वे सहभागिता करें।
• सफाई निगरानी समिति विवाद पर विवाचन करेगी व उसका निपटारा करेगी तथा पूर्वी/ उत्तरी/ दक्षिण दिल्ली के नगर निगमों को अपना फैसला भेजेगी।
• यदि समिति मुद्दे पर फैसला करने में नाकाम रहे तो डीसी अंतिम फैसला लेगा व उसे लागू करेगा।
• RWA, MTA व स्कूल को निर्देशित किया जाए की वे स्थल तय करें जहां घरों का रिसाइकलेबल कचरा छांटा जाए तथा साफ–सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी RWA है व निगम के स्वच्छता विभागों का सहयोग रहेगा।
• नगर निगम बागवानी कचरे के लिए पलवार उपकरण मुहैया कराएंगे जो किसी हालत में पार्क से बाहर न जाएं और जहां जमीन पर कम्पोस्टिंग नहीं हो सकती वहां के लिए नगर निगम आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रिक रिड्यूसर या कम्पोस्टर भी प्रदान करेंगे।
• अंततः, समिति नगर निगम को भौगोलिक क्षेत्र में ऐसी जमीन खोजने में भी मदद दे सकती है जहां कचरे की प्रोसैसिंग व कम्पोस्टिंग की जा सके।

नोटः
पृथक किया गया कचरा अनिवार्य रूप से....
1. वार्ड के अलग–अलग ढलाव में जाए
2. विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए हर ढलाव को दो हिस्सों में बांटा जाए

इस निर्णय पर यह विकल्प समिति की सलाह पर निगमायुक्त पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

URJA, the apex body of RWA in Delhi, was set up in 2005 and gathers, analyzes, disseminates information & aggregates public opinion to demand efficient delivery of civic amenities, health services, security, clean air, and water to residents of Delhi through an accountable, efficient, and responsive Government. We connect and network with 2500 RWA apart from several significant NGOs. URJA is a volunteer led, not for profit organisation.